कार्यालय अन्नापूर्णा प्रोजैक्ट मार्फत जिला रैड क्रास शाखा अम्बाला ।

निविदा सूचना

जिला रैड क्रास सोसाईटी ,अन्नापूर्णा प्रोजैक्ट,सिविल अस्पताल, अम्बाला शहर के लिये वर्ष 2019-20 हेतू करियाना एव अन्य सामान की सप्लाई करने के लिये निविदांए आमन्त्रित है, जो कि दिनांक 02/12/2019 को दोपहर 1:00 बजे तक कार्यालय जिला रैड क्रास सोसाईटी ,अम्बाला में जमा करवाई जा सकती है ,निविदांए बाद दोपहर 3.30 बजे कार्यालय नगराधीश,अम्बाला में खोली जांयेगी, निविदा अवधी एक वर्ष के लिये होगी । इच्छुक पार्टिया/फर्म जिनको सामान सप्लाई करने का तीन वर्ष का अनुभव है , अपने पहचान पत्र के साथ निविदा में शामिल हो सकते है। इसके अतिरिक्त निविदांए देने से पहले पार्टी/फर्म को राशि मु0 25000/-रूपये बैंक ड्राफट जो कि District Red Cross Society Ambala Annapurna के पक्ष में हो, जिला रैड क्रास सोसाईटी ,अम्बाला के कार्यालय में जमा करवाना होगा । समान सप्लाई के नियम,शर्ते एव सूची अन्नपूर्णा प्रोजैक्ट कार्यालय ट्रामा सैंटर,सिविल अस्पताल तथा कार्यालय जिला रैड क्रास सोसाईटी ,अम्बाला कोर्ट रोड में देखी जा सकती है । इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन की वैबसाईट www.ambala.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

सचिव

जिला रैड क्रास सोसाईटी ,

अम्बाला ।0171-2530556

निविदा हेतु नियम एव शर्ते :-

1 निविदा की अवधि एक वर्ष के लिये होगी।

2 फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा निविदा हेतु फार्म कार्यालय जिला रैडकास सोसाईटी अन्नापूर्णा मुबलिग 1000/- रूपये की राशि से प्राप्त करना होगा, जिसकी राशि नॉन रिफंडेबल होगी।

3 फर्म/होल-सेल विक्रेता सामान सप्लाई के लिये वैध होगी।

4 फर्म/होल-सेल विक्रेता के पास अपना GST/PAN नम्बर वा अन्य कागजात पूर्ण होने चाहिये, जिसकी स्वंयस्त्यापित फोटोप्रतियां फार्म के साथ संलग्न की जानी है।

5 निविदा में हिस्सा लेने के लिये फर्म/होल-सेल विक्रेता के पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये, जिसके लिये उसे पिछले तीन वर्ष की रिटर्न की प्रतियां निविदा फार्म के साथ जमा करवानी होंगी।

6 निविदा हेतु कूटेशन फार्म भरकर सभी कागजात सहित बंद लिफाफे में टैंडर आमत्रित करने की तिथि 2.12.19 ....को ....1.:.00...... बजे तक कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला में जमा करवाना होगा।

7 फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा कार्यालय द्वारा सामान का परचेज आर्डर प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर-2 सामान की सप्लाई देने के लिये बाध्य रहेगा।

8 फर्म/होल-सेल विक्रेता को किसी भी सूरत में एडंवास राशि का भुगतान नही किया जायेगा और ना ही फर्म द्वारा इस प्रकार की मांग की जायेगी।

9 फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा निर्धारित रेट पर सामान की सप्लाई नागरिक अस्पताल, अम्बाला शहर में उपलब्ध करवानी होगा, जिसके लिये किसी प्रकार का अन्य चार्जज कार्यालय द्वारा नहीं दिये जायेंगें।

10 फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामान वा सम्बन्धित ब्रांड की सूचि कार्यालय में देखी जा सकती है, संलग्न सूचि में चिन्हित ब्रांड के अलावा अन्य ब्रांड का सामान रिसीव नहीं किया जायेगा।

11 निविदा में हिस्सा लेने हेतु मु0 25 हजार रूपये का बैक ड्राफट District Red Cross Society Ambala Annapurna के नाम जमा करवाना होगा।

12 निविदा में हिस्सा लेने हेतु व्यक्तियों/फर्मो/होल-सेल विक्रेता को अपना पहचान पत्र से सम्बन्धित दस्तावेज लाना जरुरी होगा, जिसमें पैन कार्ड, टैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि शामिल है।

13 यह कि ठेका अवधि शुरु में एक वर्ष के लिए होगी।

14 निर्धारित मूल्य व समय पर सामान सप्लाई प्राप्त ना होने की स्थिति में ठेका/टैंडर रद्द करने के लिये माननीय उपायुक्त एंव प्रधान, जिला रैडक्रास सोसाईटी अन्नापूर्णा को पूर्ण अधिकार होगा।

15 टैंडर रद्द होने के स्थिति में फर्म की जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

16 फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा केवल ब्रांडिड, अच्छी गुणवता व FSSAI से प्रमाणित खाद्य सामग्री ही सप्लाई की जायेगी।

17 यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि सप्लाई किये गये सामान अच्छी गुणवता/ब्रांड की नहीं पाया जाता तथा इन खाद्य वस्तुओं से उपयोग से स्वास्थय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो ठेका अवधि तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।

18 इस टैंडर/ठेके के लिए उपरोक्त नियम व शर्तो में बिना किसी सूचना के अन्य शर्ते जोड़ने तथा बदलाव करने का अधिकार उपायुक्त, अम्बाला को होगा।

19 यदि कभी ऐसा पाया गया कि ठेकेदार उपरोक्त शर्तो व नियमों की अवहेलना कर रहे है तथा इनका व्यवहार कार्यालय कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं है तो उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला को बिना किसी सूचना के ठेका अवधि को तुरन्त रद्द करने का अधिकार होगा।

20 यह कि यदि किसी प्रकार का कोई झगड़ा या झगडे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति/झगडे को सुलझाने में प्रथम अपीलीय अधिकारी उप मण्डल अधिकारी (ना0), अम्बाला शहर होंगे तथा अंतिम व द्वितिय अपीलीय अधिकारी उपायुक्त, अम्बाला होगें तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को स्वीकारय होगा। इस अधिकार के तहत उपायुक्त अम्बाला को अन्नापूर्णा प्रोजेक्ट से सम्बन्धित नियम व शर्तो में बदलाव व अन्य शर्ते जोड़ने का एकाधिकार होगा तथा किसी भी पक्ष को उपायुक्त अम्बाला के एकाधिकार को चुनौती देने का अधिकार नही होगा।